राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(263) ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/उपापन/2015–16/ E.O. No.- जयपुर, दिनांकः 6/11/17

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषयः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 16 की पालना बाबत् संशोधित निर्देश।

प्रसंग :– राजस्थान राज पत्र में जारी अधिसूचना दिनांक 24.01.2013 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 राज्य में दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी।

सन्दर्भः– विभागीय पत्र क्रमांक एफ 27(263) ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/उपापन 2015–16 जयपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2016 एवं 13.04.2017.

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 16 की पालना बाबत् जारी मार्ग–दर्शक सिद्धान्त दिनांक 13.08.2016 में वर्णित शर्तं संख्या 9 में महात्मा गांधी नरेगा योजना को छोडकर अन्य सभी विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत रुपये 5.00 लाख (श्रम एवं सामग्री सहित) से अधिक लागत के निर्माण कार्यों राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता, 2013 के प्रावधानुसार खुली निविदा से ही करवाये जाने बाबत् प्रासंगिक पत्र दिनांक 13.04.2017 के शर्तं संख्या 4 के द्वारा विभागीय योजनाओं के अंतर्गत रुपये 5.00 लाख (श्रम एवं सामग्री सहित) से अधिक लागत के निर्माण कार्य राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानानुसार खुली निविदा से ही किये जा सकने बाबत् संशोधन किया गया था, जिसे निर्देशानुसार निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

"महात्मा गांधी नरेगा योजना को छोडकर अन्य सभी विभागीय योजनाओं के अंतर्गत रुपये 10.00 लाख (श्रम एवं सामग्री सहित) से अधिक लागत के निर्माण कार्य राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानानुसार खुली निविदा से ही कराये जा सकेंगे, अर्थात् महात्मा गांधी नरेगा योजना को छोडकर अन्य विभागीय योजनाओं के अंतर्गत रुपये 10.00 लाख (श्रम एवं सामग्री सहित) से अधिक के निर्माण कार्य के लिए केवल सामग्री का उपापन कर मस्ट्रोल के आधार पर भी कार्य कराना अनुमत नहीं होगा। उपरोक्त कार्यों हेतु सामग्री का क्रय/उपापन नियमानुसार राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं समय–समय पर जारी परिपत्रों में यथा विहित उचित प्रकिया एवं वित्त विभाग के निर्देश दिनांक 26.07.2016 के अनुसार 1 सितम्बर, 2016 से ई उपापन (E-Procurement) प्रक्रिया को अपना कर ही सम्पादित किया जा सकेगा।"

शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

6.11.2017

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
6. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त, आयोजना, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग/ग्रावि एवं पंरावि/सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस), समस्त, राजस्थान।
5. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
9. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/ अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता, ग्रावि एवं पंरावि/ईजीएस/जलग्रहण एवं भू–सरंक्षण विभाग
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
11. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
12. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद समस्त।
13. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.) ग्रा.वि. को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस/अभियान्त्रिकी/जलग्रहण एवं भू–सरंक्षण विभाग, जि.प. समस्त राजस्थान।
15. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त, राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्रा.पं., ग्राम सेवक एवं प्रत्येक सहायक/कनिष्ठ अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि